स्वरूप में परिवर्तन और पाकी व नापाकी

कई तरह की चीजें ऐसी है जिनमें प्राकृतिक या कृत्रिम (मसनूई) ढंग से परिवर्तन आते हैं और उनका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। ऐसे मामलों में शरीअत के निर्देश क्या हैं और किसी चीज़ के स्वरूप में परिवर्तन आने से उस से सम्बन्धित निर्देशों में क्या बदलाव आता है? इस विषय पर फ़िक्ह अकेडमी के 13वें सेमिनार में विचार विर्मश किया गया। यह सेमिनार 13-16 अप्रैल 2001 ई0 (18-21 मुहर्रम 1422) को लखनऊ के कटोली में आयोजित हुआ। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए।

1 शरीअत में जिन चीज़ों को हराम या नापाक घोषित किया गया है उनकी निषेधता और नापाकी उस चीज़ की वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित है। अगर किसी इनसानी अमल, रसायनिक विधि या उस चीज़ की वास्तविक स्थिति बदल जाय तो उस चीज़ के सम्बन्ध में या किसी इन्सानी अमल के बिना तिब्बी और वातावरण के प्रभाव से पूर्व आदेश उसपर लागू नहीं होगा। इसमें पूरी तरह से पाक या नापाक होने का फ़र्क़ नहीं होगा

2 स्वरूप परिवर्तन (माहियत में तब्दीली) से मुराद यह है कि उस चीज़ की वह विशेषताएं बदल जाएं जिनसे उस की पहचान होती है। ऐसी विशेषताएं जिनसे उसकी वास्तविक्ता निर्धारत नहीं होती, उनके बाक़ी रहने से कोई फ़र्क़ नहीं पडता।

3 अगर किसी हलाल और पाक चीज़ में कोई हराम और नापाक चीज़ केवल मिली हुई हो और उसकी वास्तविक स्थिति न बदली हो तो वह हराम और नापाक ही रहेगी।

4 सेमिनार में शरीक सभी लोगों का मानना है कि अलकोहल या जिलॉटिन आदि में वास्तविक स्थिति में बदलाव पर कोई ठोस राय कायम करने से पहले रसायन विज्ञान के विशेषज्ञों से इसकी पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है।

5 सेमिनार में शरीक लोगों का मानना है कि दवाओं में प्रयोग होने वाली हराम और संदिग्ध चीज़ों से बचने के लिए ऐसी पाक चीज़ों का विकल्प ढूंढना ज़रूरी है। इसलिए मुस्लिम वैज्ञानिकों और इस्लामी दुनिया के ज़िम्मेदार लोगों को पेड-पौधों और हलाल जानवरों से इस तरह की चीज़ें खोजने और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करना मुसलमानों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

☆☆☆